14.10.2021

पत्रावली ~~[illegible]~~ प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय मिलौदा पर निस्तारण हेतु पेश हुई। तहसीलदार डूंगला से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट / जवाब पेश किया गया। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त जवाब रिपोर्ट के अनुसार मौजा भानारखेड़ी की आराजी नम्बर 467/68 रकबा 0.7590 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर जमाबंदी सम्वत 2077 वर्ष 2021 मे खाता सं. 108 मे संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। मौके पर ग्राम भानारखेड़ी के लट्ठा शीट में में दर्ज खसरा नम्बर 467/68 के अनुसार प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। तहसील का राजस्व रेकार्ड को आनलाईन करते समय DILRMP के तहत नवीन प्राप्त नक्शे में प्रार्थीगण की कब्जे शुदा भूमि मे से दक्षिणी पूर्वी कोनर में लगभग 3 बिस्वा भूमि पड़ौसी आराजी नम्बर 464/68 के नक्शे मे दर्ज हो गई है। जबकि वह भाग इनके वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार कब्जा रहा है। तथा कब्जा अनुसार तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्शा तैयार कर पेश किया गया। इसपर वकील प्रार्थीगण की बहस को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम करने की अनुमति चाही गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, राजस्व रेकार्ड एवं नकल जमाबंदी, पूर्व नक्शा ट्रेस एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस का अवलोकन, परीक्षण किया गया तो परीक्षण उपरान्त पाया गया कि मौजा भानारखेड़ी की आ.न. 467/68 रकबा 0.7590 है. भूमि के अनुसार डी. आई. एल. आर. एम. पी के नक्शे में प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि मेसे दक्षिणी पूर्वी कोनर में लगभग 3 बिस्वा भूमि पड़ौसी खातेदार की आ.न. 464/68 के नक्शे [illegible] तरमीम हो रखी है जिसको मूल नक्शा शीट (लट्ठा) [illegible] जाना न्यायोचित होकर उचित है। अतः ~~[illegible]~~ [illegible] आकर शामिल [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] नम्बर से [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:23:49 IST
Reason: SelfAttested

14.10.2021